न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी– बी.एल.कोठारी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 41/2018

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. जाला पुत्र फुआ 2. गोरधन पुत्र पोला जाति–विश्नोई निवासी ग्राम सियागांव पुर तहसील सांचौर जिला जालौर		1. राजू पुत्र नरिंगा 2. जावता पुत्र नरिंगा 3. पाबू पुत्र नरिंगा 4. उदा पुत्र नरिंगा जातियान विश्नोई निवासीगण ग्रम सियागांव (पुर) तहसील सांचौर जिला जालोर 5. तहसीलदार सांचौर जिला जालोर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 14.11.2017 जो उपखण्ड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2016 अनवान राजू वगैरा बनाम जाला वगैरा में में पारित किया गया।

उपस्थितिः–1. श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।
2. श्री तेजाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 ता 4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0सं0 5 की ओर से उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांकः 11 जून, 2019

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111. 128 एल.आर.एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 3.18 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसके वे रेकर्डेड खातेदार है, एवं वह उक्त खसरान भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। अपीलार्थीगण उसके पडौसी खातेदारान् है, जिनसे उक्त भूमि पर स्थित सेढो को लेकर हमेशा विवाद रहता है, जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर हम

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, उक्त नोटिस अपीलार्थीगण की पर्याप्त तामिल नही होने के बावजूद उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर रेस्पोडेन्टस की ओर से एक पक्षीय बहस सुनते हुए उपखण्ड अधिकारी, सांचोर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2017 के तहत रेस्पोडेन्टस के उपरोक्त खसरान भूमि की नेखमबन्दी किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर यह प्रथम राजस्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। अपीलान्टस के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम पुर के वादग्रस्त खसरा नम्बर 56 जो कि अपीलार्थीगण की खातेदारी का खेत है तथा पत्थरगढी के मामले में उसके कब्जे को बदला नही जा सकता है तथा भूमि की बिना तरमीम किये पत्थरगढी का आदेश नही दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में सीमाज्ञान हेतु कोई भी कार्यवाही सम्पादित नही हुई है। इस कारण से भी पत्थरगढी नही की जा सकती है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि आलौच्य आदेश अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण की तामील विधिवत तरीके से नहीं करवाई गई, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस पर "अपीलार्थीगण के आसामी घर पर हाजर नहीं है, नोटिस की एक प्रति उनके आबाद मकान पर हमारे रूबरू चस्पा की गई, अंकित की जाकर एक मात्र चश्मदीद के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद चस्पानंगी नोटिस अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जो कि विधिवत रूप से तामीली कार्यवाही की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है, नोटिस तामीली में चस्पानंगी कार्यवाही आसामी के नोटिस लेने से इंकार किये जाने पर ही दो मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये जाने के पश्चात ही पर्याप्त तामीली पूर्ण मानी जा सकती है। अन्त में यह निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को

डिविजनल कमिश्नर
बीकानेर

निरस्त करावे तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि हम रेस्पोडेन्टगण के खातेदारी का खेत मौजा सियागांव तहसील सांचौर में खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 3.18 हैक्टर किस्म बारानी सोयम आई हुई है जिस पर काश्त करते आ रहे है और हम रेस्पोडेन्टगण का कब्जा है। हमारी खातेदारी के उक्त खेत खसरा नं0 55 से लगता उतर दिशा में अपीलार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 56 का आया हुआ है। अपीलान्टस आये दिन हमारे उक्त खेत की उतरी माठ को तोडते रहते थे तथा हमारे खेत की भूमि को अपने खेत में मिलाना चाहते थे जिस पर हमारे उक्त खेत को लेकर लडाई झगडा भी हुआ था तथा आपस में एक–दूसरे के विरूद्ध मुकदमेबाजी भी चल रही है। इस कारण उनके द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सांचोर के समक्ष राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111 एवं 128 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए हमारे खेत खसरा संख्या 55 की उत्तरी माठ पर पत्थरगढी करवाने हेतु पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नियमानुसार अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा उनकी चस्पानंगी से तामीली के पश्चात अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2017 के द्वारा खसरा संख्या 55 की पत्थरगढी पडौसी खातेदारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर का आदेश तहसीलदार सांचोर को दिये गये थे जो कि पूर्ण रूप से उचित तथा विधि अनुकूल होने से यथावत बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से निरस्त की जावें।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। तथा उपलब्ध अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को नोटिस जारी अवश्य किये गये है परन्तु उक्त नोटिस पर अपीलार्थीगण की तामीली पर्याप्त एवं विधि अनुरूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि नियमानुसार नोटिस तामीली में चस्पादंगी कार्यवाही आसामी के घर पर उपस्थित होने तथा उनके द्वारा नोटिस लेने से

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

कार किये जाने पर ही दो मौतबिरान की उपस्थिति में चस्पानंगी कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि अपीलान्टस को पुनः नोटिस जारी कर विधि सम्मत तामीली उपरान्त ही यथोचित आदेश पारित करते। ऐसे में हम यह समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश को बहाल रखना न्यायोचित नहीं होगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सांचोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधि अनुसार अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर देने के उपरान्त नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करे। दोनों पक्षकारान दिनांक 24.06.2019 उपखण्ड अधिकारी, सांचोर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर